.1.21 आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण ... AD से तलब होकर दिनांक 22.3.21 को पेश हो।

24.2.21 आज पत्रावली वादी / प्रार्थी के प्रा० पत्र पर पेश हुई। प्रतिवादी ने सुनवाई हेतु छोटी पेशी हेतु निवेदन किया है मूलवाद मे सुनवाई हेतु तारीख 1.3.2021 की गई है जिसमे वादी को नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए गए है अत: प्रा० पत्र की पत्रावली भी नियत तिथि 1.3.2021 को पेश हो। प्रार्थी को नोटिस जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

1.3.21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी (पैरोकार सरकार) उप०। अप्रार्थी अमीरखी उप०। उनके वकील उप०। प्रा०पत्र पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई। पक्षकारान को सुना गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट मे पटवारी हल्का खैरथल बी. मे अंकित किया है कि मौके पर खसरा नं० 3105 पड़त है। मौके पर किसी प्रकार का मकान व प्लाटिंग नही है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र मे मौके पर प्लाटिंग करना बताया जाकर प्रा० पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रा० पत्र साबित नही होता है प्रा० पत्र सारहीन है जो काबिल खारिज है।

01/03/2021

अत: आदेश है कि :-

न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे जारी T.I. आदेश दि० 04.11.2020 बाबत आ० ख० न० 3105 वाके खैरथल त० किशनगढबास अपास्त किए जाते है प्रा०पत्र खारिज किया जाता है फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)